न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी।

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या : 180 / 2019

दिलीप कुमार बनाम अर्जुन पासी आदि।

04.05.2019

पत्रावली पेश हुयी। विद्वान अधिवक्ता को सुना।

निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3)द.प्र.सं.

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) द0प्र0सं0 प्रस्तुत करके याचना की गयी है कि विपक्षीगण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराने एवं विवेचना कराये जाने का आदेश पारित किया जाये।

सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्यानुसार प्रस्तुत मामले के सम्बन्ध में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थी ने विपक्षीगण पर आराजी संख्या 156 पर जबरन निर्माण कार्य करने, रोकने पर बताया गया कि उनके द्वारा खरीदा गया है। छल कपट से बैनामा कराने, गाली गलौज करने व जान से मार देने की धमकी देने का कथन किया गया है।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थी को सभी तथ्यों की जानकारी है तथा विवेचना कराये जाने की आवश्यकता नहीं है। मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा **सुखवासी बनाम उ0प्र0 राज्य, 2007(59) ए0सी0सी0 739 तथा रामबाबू गुप्ता एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य, 2001(43) एं0सी0सी0 50** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) द0प्र0सं0 परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 200 द0प्र0सं0 दिनांक 12.06.2019 को पेश हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कौशाम्बी।